न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, वाराणसी

CNR No. UPVR010058922026

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 1983/2026

1) गणेश मोहन कन्नौजिया पुत्र स्व० मोहन कन्नौजिया
(2) मुन्नी देवी पत्नी गणेश मोहन कन्नौजिया निवासीगण फ्लैट नम्बर 304 राजटावर कालोनी, ओमनगर, पहड़िया, पाण्डेयपुर वर्तमान पता- दुर्गापावर लाउण्ड्री हनुमान मन्दिर के सामने चितल्सर मान पाड़ा थाणे वेस्ट महाराष्ट्र चितल्सर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन थाणे महाराष्ट्र।

-----प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम्

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन

मु०अ०सं०-236/2024
धारा- 147,454,323,427,504,354 भा०द०सं०
थाना- लालपुर/पाण्डेयपुर, जिला- वाराणसी।

06.07.2026

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक/अभियुक्तगण 1) गणेश मोहन कन्नौजिया व (2) मुन्नी देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 236/2024 अंतर्गत धारा- 147,454,323, 427,504,354 भा०दं०सं०, थाना-लालपुर/पाण्डेयपुर, जिला-वाराणसी में प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा उसका कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित नही है। अभियुक्तगण द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रमोद कौसल ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थी पिछले 25 वर्षों से वकालत कर जीवकोपार्जन कर रहा है। प्रार्थी की पत्नी ऊषा कौशल के नाम राज टावर में एक फ्लैट दिनांक 30.08.2023 को गनेश मोहन कन्नौजिया पुत्र मोहन कन्नौजिया व मुन्नी देवी पत्नी गनेश मोहन कन्नौजिया निवासीगण दुर्गापावर लाण्ड्री हनुमान मंदिर के सामने चितल्सर मानपाडा थाना वेस्ट महाराष्ट्र से कुल मु. 26,00,000/-रू (छब्बीस लाख) रूपये में खरीदा, प्रार्थिनी ने विकेतागण के दिये गये निर्देशों के अनुसार विक्रय मूल्य के चेको को मुन्नी देवी व गनेश मोहन कन्नौजिया के नाम से दिया गया। विक्रय मूल्य के एवज में कुछ चेको का भुगतान विक्रेतागण प्राप्त कर लिये। मुन्नी देवी के नाम व खाते नम्बर से जारी चेको का भुगतान हेतु बाते में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रेता द्वारा बारबार चेको के समयावधी समाप्त होने का हवाला दिया गया तो भी विक्रय मूल्य के एवज में जारी चेको क भुगतान हेतु विक्रेतागण ने बाते में प्रस्तुत नहीं किया। विक्रेतागण के उक्त कृत्य से प्रार्थी के मन में कुछ शक एवं संसय होने लगा कि प्रार्थी के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। बावजूद प्रार्थी के द्वारा विक्रय मूल्य के भुगतान के लिये जारी चेकों को विक्रेतागण द्वारा अपने खाते में प्रस्तुत करने को कहा गया तो वह टाल मटोल करने लगे और विक्रेतागण बैनामा दस्तावेज तावेज

Digitally signed by YAJUVENDRA VIKRAM SINGH
Date: 2026.07.07 16:29:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में उल्लिखित चेक जो कि विक्रय मूल्य के एवज में काटे गये चेक संख्या उसे अपने अन्य खाते में भुगतान कराने का दबाव बनाने लगे थे, जिससे मुझ प्रार्थी को शक और भी गहरा हो गया। विक्रेतागण ने वैनामें के स्वमय बैनामा दस्तावेज की मूल प्रति भी प्रार्थी को सौपी तथा रजिस्ट्रार कार्यालय से रही ब्यन्धक भी नहीं पाया गया। प्रार्थी के पत्नी (केती) का नाम खतौनी, पीलाकार्ड सोसाईटी मेम्बर व विजली कनेक्शन पर अंकित हो गय । विक्रेतागण बारबार प्रार्थी से नगद अथवा अन्य खाते में भुगतान का दबाव बनाने लगे जिसे प्रार्थी ने डकार कर दिया। विक्रेतागण द्वारा एक आनलाईन (आई जीआरएस) शिकायत दर्ज किया गया कि केती 35 लाख रूपये का भुगतान नहीं कर रही है जबकि प्रार्थी की पट्टी ने 26 लाख रूपये में ही फ्लैट खरीदा था। उक्त आनलाईन शिकायत पर जाँच अधिकारी सभी तथ्यों से अवगत कराया गया तथा साक्ष्य दिया गया, जिससे जाँच समाप्त हो गया। दिनांक 12.04.2024 को समय लगभग 11 से 12 बजे के मध्य दिन में आसपा सोसाईटी से फोन आया कि आपके फ्लैट का ताला कुछ लोग तोड़ रहे है, इस पर भागकर प्रार्थी अपने बेटे अभिनय कौशल एडवोकेट के साथ पहुँचा तो देखा कि गनेश मोहन कन्नौजिया, मुन्नी देवी, प्रशान्त सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी एस. 10/55-एम, 4ए गीला नगर कालोनी हुकुलगज कैण्ट, वाराणसी, संजय सिंह पुत्र मृत्युजय सिह निवासी एस. 10/55-एम, 4ए गीता नगर कालोनी हकुल्नगज कैण्ट, वाराणसी, अवनिकान्त पाण्डेय पुत्र अजात निवासी काशीराज अर्पाटमेंट कमच्छण वाराणसी व 4-5 अजात व्यक्ति मिलकर फ्लैट का ताला तोड़ दिये तथा काफी मूल्यवान सामान भी गायब कर दिये थे। प्रार्थी द्वारा जब विरोध किया गया तो प्रार्थी व प्रार्थी के बेटे को काफी मारा-पीटा तथा प्रार्थी का कपड़ा फाड दिया तथा गले के सोने की चेन भी छीन लिये तथा नाक मारकर तोड़ दिया। प्रार्थी व प्रार्थी के बेटे को काफी चोटे आयी, प्रार्थी द्वारा पुलिस को फोन किया गया तथा प्रार्थी ने पुनः कुण्डी व ताला अपने फ्लैट पर बन्द कर दिया। घटना की जानकारी होते ही प्रार्थी की पदवी भी मौके पर आ गयी, प्रार्थी की पत्नी के साथ गाली-गलौज व अश्लील हरकत प्रशान्त सिंह, अवनिकान्त पाण्डेय व गनेश मोहन कन्नोज्जिया ने किया तथा बार-बार इन लोगों द्वारा मेरे ताले को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सीसीटीवी फुटेज व सोसाइटी में प्रवेश करने का रजिस्टर को संरक्षित करने हेतु मौखिक एवं जरिए रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा दिनांक 14.04.2024 को सोसाइटी सचिव (धीरेन्द्र त्रिपाठी) को सूचित किया गया तथा घटना का सीसीटीवी फुटेज चौकी इन्चार्ज पहडीया, पाण्डयेपुर के पास संरक्षित है। पुलिस ने बताया कि इस घटना की जाँच एसीपी कैण्ट महोदय कर रहे हैं। विक्रेतागण गनेश मोहन कन्नोजिया मुन्नी देवी द्वारा थाने में ही प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को झूठे मुकदमों व एससी-एसटी छेड़खानी के मुकदमें में फँसा देने की धमकी दी जा रही थी। इस प्रकार गनेश मोहन कन्नौजिया व मुन्नी देवी ने धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज बनाकर बैंक की दे दिया तथा बेईमानीपूर्वक लोनशुदा सम्पत्ति को विक्रय कर दिया तथा साजिशन गनेश मोहन कन्नौजिया, मुन्नी देवी, प्रशान्त सिंह, संजय सिंह, अवनिकान्त पाण्डेय व कुछ अजात लोगो द्वारा मेरे फ्लैट पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा मेरे व मेरे बेटे के साथ मार-पीट, गाली-गलौज एवं मेरी पन्नी के साथ अश्लील हरकत की गयी। श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि सभी विपक्षीगण के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा के साथ अश्लील हरकत कर घटना कारित की गयी है। अतः मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हे गलत फर्जी एवं साजिशी तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। कथित अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब तीन माह बाद दर्ज कराई गई है। अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार से वादी मुकदमा से मारपीट या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने व धोखाधडी करने का अपराध कारित नहीं किया गया है। घटना के 22 दिन बाद विधिक मस्तिष्क से कहानी गढकर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्तगण द्वारा सन् 2017 में दो फ्लैट, फ्लैट नम्बर 303 व 304 तीसरा तल राज टावर म्युसिपल कारपोरेशन नम्बर सा-6/1-ए-21के, एस.एम. प्लाट नम्बर एम-102 मोहल्ला ओमनगर कालोनी, मौजा अकया, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ में

क्रय किया था। उपरोक्त दोनों फ्लैटों को आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स द्वारा लोन पर क्रय किया था तथा अपने दोनों फ्लैटों की ई.एम.आई. अपनी कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण दे पाने में असमर्थ हो रहा था जिसके कारण वह अपने दोनों फ्लैटों को विक्रय करने का फैसला किया तथा फ्लैटों के विक्रय के बाबत विभिन्न लोगों से वार्तालाप किया जिसके पश्चात् उपरोक्त दोनों फ्लैटों को क्रय करने के बाबत ब्रोकर अमित यादव के माध्यम से जितेन्द्र कुमार सिंह तथा प्रमोद कौशल एडवोकेट ने अभियुक्तगण से सम्पर्क किया। जिस पर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह तथा प्रमोद कौशल (एडवोकेट) फ्लैट लेने को तैयार हो गये जिसके पश्चात् गनेश मोहन कन्नौजिया बैंक में दोनों फ्लैटों के लोन के सेटलमेन्ट करने हेतु बैंक अधिकारियों से बात किया जिस पर आई.सी. आई.सी.आई. बैंक द्वारा फ्लैट नम्बर 303 के बाबत लोन के सम्बन्ध में Ref No. HFC/Coll/1110/2023-20243233 दिनांकित 25 अगस्त 2023 Settlement of dues Pertaining to ICICI HFCS Loon Account No 5 NHMUM00000881085 Amount 26,50,000/- तथा फ्लैट नम्बर 304 के बाबत लोन के सम्बन्ध में Ref No- HFC/Coll/1111/2023-202432323 Settlement of dues Pertaining to ICICI HFCS Loan Account No 5 NHMUM00000884772 Amount 25,00,000/- के द्वारा दोनों लोनों के सेटलमेन्ट करने हेतु बैंक तैयार हो गया तथा लोन सेटलमेन्ट की दिनांक 30 अगस्त 2023 तक की ही सीमा निर्धारित की। तत्पश्चात् दोनों फ्लैटों को, फ्लैट नम्बर 303 के क्रेता जितेन्द्र कुमार सिंह व फ्लैट नम्बर 304 के क्रेता प्रमोद कौशल (एडवोकेट) द्वारा लोन को सेटलमेन्ट करने हेतु सेटलमेन्ट धनराशि देकर फ्लैट क्रय करने हेतु तैयार हो गये, तत्पश्चात् दोनों ही फ्लैट दिनांक 30.08. 2023 को जरिये बैनामा विक्रय किया गया। फ्लैट नम्बर 303 के क्रेता द्वारा फ्लैट की प्रतिफल कुल मुबलिग 34,84,000/- रूपये जरिये आर.टी.जी.एस. प्रदान कर दिया जिसमें से मुबलिग 26,50,000/- रूपये भुगतान करके बैंक का लोन गनेश मोहन कन्नौजिया द्वारा सेटलमेन्ट करके No Dues Certificate फ्लैट के क्रेता को प्रदान कर दिया गया। फ्लैट नम्बर 304 के क्रेता श्री प्रमोद कौशल जो पेशे से अधिवक्ता हैं बड़ी ही चालाकी से फ्लैट के प्रतिफल की राशि जो मुबलिग 35,00,000/- रूपये में तय की गई थी उसे फ्लैट नम्बर 304 के बैनामे में मात्र मुबलिग 26,00,000/- रूपये में ही क्रय करना तथा प्रतिफल की राशि के मुतलिक 6 पोस्टडेटेट चेक मात्र मुबलिग 26,00,000/- रूपये का ही बैनामे में अंकित किया तथा बड़ी ही चालाकी से और धोखा देने की नियत से अपने अधिवक्ता व्यवसायी होने का फायदा उठाते हुये बैनामे को इंग्लिश में टाइप करवाया जिसे गनेश मोहन कन्नौजिया पढ़ा-लिखा न होने के कारण समझ नहीं सका तथा प्रमोद कौशल (एडवोकेट) के आश्वासन और भरोसे पर कि उसने सभी बातें बैनामे में लिख दी है और प्रतिफल की धनराशि लिख दी है तथा अभी वह मुबलिग 26,00,000/- रूपये का चेक प्रदान कर रहा है, बैनामा होते ही वह बैंक में सेटलमेन्ट एमाउन्ट मुबलिग 25,00,000/- रूपये आर.टी.जी.एस. करके लोन सेटल कर देगा। बैनामा तहरीर करवा लिया। बैनामा तहरीर होने के बाद प्रमोद कौशल (एडवोकेट) द्वारा बैंक का सेटलमेन्ट एमाउन्ट नहीं दिया जा रहा था तथा बार-बार बोलने पर भी लोन का सेटलमेन्ट एमाउन्ट का भुगतान नहीं किया जा रहा था और न ही बैनामे के प्रतिफल की शेष धनराशि सेटेलमेन्ट एमाउन्ट के बाद दी जा रही थी। तब प्रार्थीगण ने धोखाधड़ी का एक प्रार्थना-पत्र जन सुनवायी में दिया जिसे प्रमोद कौशल द्वारा अपने अधिवक्ता होने का लाभ उठाकर गलत तरीके से निस्तारित करा दिया। अभियुक्तगण के विक्रय करने वाले दोनों ही फ्लैट नम्बर 303 व 304 आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स द्वारा लोन पर खरीदे गये थे जिनकी पूरी जानकारी प्रमोद कौशल (एडवोकेट) को थी उसी लोन को न भर पाने के कारण ही दोनों फ्लैटों को मजबूरन विक्रय करना पड़ रहा था जिसके विषय में अभियुक्तगण ने दोनों ही क्रेताओं को अवगत करा दिया गया था। दिनांक 12.04.2024 को प्रमोद कौशल (एडवोकेट) व उनके पुत्र मोनालिसा कौशल उर्फ अभिनव कौशल (एडवोकेट) व 3-4 अज्ञात लोग अभियुक्तगण के फ्लैट पर कब्जा करने आये व अभियुक्तगण के साथ गाली-गलौज करते हुये जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये मारपीट भी किया गया जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता ने मु.अ.सं. 248/2024 अन्तर्गत धारा

406,147,452,323,504,506,354 आई.पी.सी. व 3 (1)द, 3(1) ध,3 (2) (v) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना लालपुर पाण्डेयपुर में दर्ज कराया। वादी मुकदमा जो पेशे से अधिवक्ता है और अपने अधिवक्ता होने का लाभ लेते हुये अवैध धन उगाही हेतु विभिन्न मुकदमे अलग-अलग लोगों के विरूद्ध पंजीकृत करवाये हैं तथा इनके व इनके पुत्र व इनकी पत्नी के ऊपर अनेकों मुकदमे लोगों द्वारा इनसे व्यथित होकर पंजीकृत करवाये गये हैं। विवेचक ने गलत आरोप पत्र प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित कर दिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को गिरफ्तारी की प्रबल आशंका है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित की गई धारायें मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण उचित जमानत एवं मुचलका दाखिल करने में सक्षम व तैयार है। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्तगण का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होने पर जरिये आरोप पत्र चालान माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है, जिस पर माननीय विचारणीय न्यायालय द्वारा समस्त प्रपत्रों के अवलोकन के आधार पर जमानती वारण्ट जारी किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा उक्त संपत्ति का 12 सालिह मुआयना करने के पश्चात पूर्व/मूल बैनामें के दस्तावेज लेकर तयशुदा रकम देने के पश्चात विक्रेतागण/अभियुक्तगण से बैनामा कराकर काबिज दखील है।वादी मुकदमा की पत्नी द्वारा अपनी क्रयशुदा सम्पत्ति को संरक्षित करने हेतु दिनांक 25.04.2024 को एक सिविल वाद मुकदमा नं0-859 सन् 2024 "ऊषा कौशल बनाम गनेश मोहन कन्नौजिया वगैरह" दाखिल किया, जिसमें माननीय सिविल जज (सी०डि०) वाराणसी द्वारा प्रतिवादीगण को वादिनी ऊषा कौशल के शान्तिपूर्ण कब्जादखल में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया है, उक्त फ्लैट सहअभियुक्तगण/विक्रेतागण/मुन्नी देवी व गनेश मोहन कन्नौजिया द्वारा बैंक लोन को छिपाते हुए लोनशुदा सम्पत्ति, धोखाधड़ी करते हुए वादी मुकदमा की पत्नी ऊषा कौशल को बैनामा के समय मूल दस्तावेज/पूर्व बैनामा देकर किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा नाजायज दबाव बनाने के लिए घटना कारित की गयी है। अतः निवेदन किया गया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाय।

अभियोजन की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों की ओर से किये गये तर्कों तथा पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा को कूटरचित दस्तावेज बनाकर बेइमानी से लोन पर ली गयी संपत्ति/फ्लैट को वादी को विक्रय करने तथा उक्त फ्लैट पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व वादी व उनके परिवारीजनों के साथ मारपीट तथा उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने का अभियोग है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। अभियुक्तगण को तथाकथित फलैटों का विक्रेता होना कहा गया है।

मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 419, 420, 147, 454, 380, 323, 427, 392, 504, 354 भा.दं.सं. में दर्ज करायी गयी है, जबकि विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 419,420, 147, 454, 323, 427, 504, 354 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिसपर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। मामले में जिन तथाकथित फ्लैटों के संबंध में विवाद होना कहा जा रहा है, उक्त के संबंध में सिविल न्यायालय में उभय पक्ष द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध सिविल वाद संस्थित किया गया है। अर्थात सिविल न्यायालय में वाद लंबित है तथा वाद संख्या- 859/2024 श्रीमती उषा कौशल बनाम गनेश मोहन वगैरह में फलैट नंबर 304 के बाबत अस्थायी व्यादेश का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित है। यह विचारण के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा कि क्या अभियुक्तगण द्वारा बेइमानीपूर्वक व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर वादी को तथाकथित फ्लैटों का विक्रय किया गया है। अभियुक्ता मुन्नी देवी महिला है तथा दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार नही किया गया है। अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा

परीक्षणीय है। प्रकरण में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा प्रावधानित है।

अतः प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में आरोपित अपराध की विशिष्ट प्रकृति व प्रावधानित अधिकतम सजा की मात्रा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Musheer Alam Vs. The State of Uttar Pradsh & anr. Slp (Crl) No. 18081/2024 में पारित आदेश दिनांकित 17-01-2025, Satyendra Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation (2022) 10 SCC 51, एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था Smt. Bacchi Devi Vs. State of U.P. and anoher 2025 AHC 136034 में पारित विधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्तगण **(1)गणेश मोहन कन्नौजिया, (2) मुन्नी देवी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 1285/2026 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से मु० 50,000/- रुपये की दो-दो सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

1. अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दौरान अग्रिम जमानत भारत की सीमा के बाहर नही जायेंगे।
2. अभियुक्तगण दौरान विचारण पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा अनावश्यक स्थगन नही देंगे।
3. अभियुक्तगण किसी भी व्यक्ति जो इस मामले के तथ्यों से परिचित है, उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन नही देंगे और न ही उन्हे डरायेंगे, धमकायेगे।
4. अभियुक्तगण दौरान विचारण प्रकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी सोशल मीडिया में नहीं करेंगे।

अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि पन्द्रह दिनो के अन्दर संबंधित न्यायालय मे उपस्थित होकर विधि अनुरूप उपरोक्त वर्णित प्रतिभू व बंधपत्र दाखिल करेंगे।

दिनांक- 06-07-2026

(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं० 05, वाराणसी
जे०ओ० कोड- UP1725